न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 55/2018

जरिये सरकार सुनील कुमार गर्ग खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

–आवेदक

बनाम

श्री जगदीश चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवचरण गुप्ता (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्स मोहरी लाल बंसतीलाल, पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर (राज०)। निवासीः– मोहल्ला बाछडी, नगरपालिका आफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/ धारा 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 20/12/21

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं सुनील कुमार गर्ग खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.18 को 4.00 पी.एम मैसर्स मोहरी लाल बंसतीलाल, पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर (राज०) पर पहुंचा। वहीं पर श्री जगदीश चन्द गुप्ता उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को इस संस्थान पर मालिक एवं विक्रेता होना बताया। मैंने उसको अपना व जांच दल का परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थान पर आम जनता के विक्रय हेतु सरसो तेल (श्री) के 15 किलोग्राम भरती के पैक टिन 45 टिन के रखे हुए थे। उसमें गुणवत्ता में कमी, लेवल मे कमी एवं मिलावट का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं. 5ए की प्रति वास्ते नोटिस रुबरु गवाहान देकर बता दिया कि रखे हुए उनमे से सरसो तेल (श्री) के एक पैक टिन 15 किलोग्राम भरती को हिलाकर एंव

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

एकरूप कर, छेदकर 2 किलोग्राम सरसो तेल (श्री) को वास्ते नमूना जांच लिया जा रहा है। फार्म नं. 5 ए पर मुलजिम द्वारा अपना नाम व पता जो उसके द्वारा बताया गया था, वही दर्ज किया गया है। फर्म के मालिक द्वारा मौके पर फर्म रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति, खाद्य अनुज्ञा पत्र वर्ष 2018 की छाया प्रति की छाया प्रति प्रस्तुत की जो कि इस्तगासा के साथ संलग्न है।

2. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनीकरण करने के लिए विक्रेता से सरसो तेल (श्री) के पैक टिन 15 किलोग्राम भरती में से 2 किलोग्राम सरसो तेल (श्री) क्रय किया गया। जिसकी कीमत 168/– रुपये अक्षरे एक सौ अडसठ रुपये रुबरु गवाहान विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ पेश है।
3. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये 2 किलोग्राम सरसो तेल (श्री) एवं चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों को विक्रेता एवं गवाहन को दिखाकर उक्त खरीदशुदा सरसो तेल (श्री) को बराबर–बराबर चारों बोतलों में डाल कर ढक्कन बन्द कर ऐयर टाईट किया। नियमानुसार लेबल पर आवश्यक जानकारी अंकित कर लेवल चिपकाए एवं लेबल पर मुल्जिम एवं गवाहानों के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं ने हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात चारों भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया। चारों भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा पूर्व में हस्ताक्षरित पेपर स्लिप नं० ई–3341 चिपका कर चारों भागों को अलग अलगधागे से बांधकर नियमानुसार अपनी ब्रास सील नं0 58 से चार स्थानों पर ऊपर, नीचे, बायें, दायें–सील चपड़ी किया, चारों भागों पर विवरण लिखकर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये और स्वयं ने हस्ताक्षर करके नमूने के चारों भागों को अपने कब्जे में लिया। नमूना लेने के पश्चात् शेष रहे सरसो तेल (श्री) के 44 पैक टिन व एक लूज टिन नियमानुसार सीज व सील कर विक्रेता एवं मालिक श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता को सुरक्षित अभिरक्षा मे रखने के लिए सौपे गये, जिसकी प्रति इस्तगासा के साथ संलग्न है।
4. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट रुबरु मुल्जिम व गवाहान के समक्ष तैयार कर फर्द रिपोर्ट पर मुलजिम व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं ने हस्ताक्षर किए। जिस सील से नमूना सील किया गया, उसका सील इम्प्रेसन फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज है।
5. यह कि मुस्तगीस खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आफिस पहुंचकर फार्म नं० 6 (मेमोरेण्डम) की 6 प्रतियां तैयार की तथा उन पर वह ब्रास सील इम्प्रेसन अंकित किया गया जिस ब्रास सील से चारों नमूना भाग सील चपड़ी किए गए थे।
6. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सरसो तेल (श्री) के नमूने का प्रथम, सील चपड़ी किया हुआ, भाग फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर

पैकेट में अपनी ब्रास सील से सील चपड़ीकर, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर को जांच हेतु जमा करवाया जिसकी प्राप्ती रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ पेश है। साथ ही फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में सील बंद कर उपरोक्त प्रयोगशाला में भेजी गई, जिनमें से एक फार्म नं० 6 की पुश्त पर नमूने पर लगाई गई, मोहर के मिलान की रसीद दी गई है। यह रसीद युक्त फार्म नं. 6 न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज है।

7. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी सरसो तेल (श्री) के नमूने के दूसरे व तीसरे सील चपड़ी किए हुए भागों का फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के साथ संयुक्त रुप से एक आउटर कवर पैकेट में सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पास जमा करवाया जिसकी रसीद संलग्न दस्तावेज है।

8. चूंकि सरसो तेल (श्री) विक्रेता ने नमूने के चौथे भाग को किसी अधिसूचित एनएबीएल प्रयोगशाला से जांच करवाने की कोई मंशा जाहिर नहीं की। अतः सील चपड़ी किए हुए नमूने के चौथे भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर पैकेट में सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पास जमा करा कर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर (राजस्थान) से नमूना संख्या ई–3341 की खाद्य विश्लेषक द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/327/Act/2018/422 दिनांक 14.03.18 एवं संशोधित जांच रिपोर्ट एफएसएसए /एक्ट/2018/726 दिनांक 25.04.18 जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ सरसो तेल (श्री) का यह नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। विश्लेषण की यह रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

10. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को अग्रिम माल खरीद बिल की सूचना चाहने बाबत् लिखा गया पत्र व स्मरण पत्र तथा विक्रेता द्वारा कार्यालय मे प्रस्तुत मय जवाब एवं अग्रिम माल खरीद बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की गई, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

11. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अशोक फूड एण्ड ऑयल इण्डस्ट्रीज बेहरोड, अलवर के मालिक/भागीदार /निदेशको/नोमिनी एवं अग्रिम माल खरीद बिल, निर्माता फर्म एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र वर्ष 2018 की सूचना चाहने बाबत् लिखा गया पत्र मय उनका जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमे उनके द्वारा सरसो तेल (श्री) पैक टिन 15 किलोग्राम भरती फर्म मौहरी लाल बसन्तीलाल कोटपूतली को विक्रय नही किया जाना जाहिर किया है, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

12. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता को पुनः अग्रिम माल खरीद बिल की सूचना चाहने एवं क्रय बिल संबंधित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया पत्र मय उनके जवाब पत्र प्राप्त हुआ, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

13. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान पूर्ण कर उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रावली श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को वास्ते लिखित अनुमति, प्रस्तुत किये जिन्होने समस्त कागजातो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायनिर्णयन आवेदन, न्यायनिर्णयन अधिकारी श्रीमान अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। लिखित अनुमति संलग्न ।

14. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.7.11 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ पेश है। यह कि कार्यक्षेत्र की सीमा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन /2011/496 दिनांक 11.4.12 के अनुसार है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ पेश है।

15. यह कि कार्य क्षेत्र आंवटित करने हेतु निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर से श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011 /475 दिनांक 10.08.11 की प्रमाणित प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ पेश है। अतः परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्राधिकृत पत्र मिलने पर न्यायनिर्णयन आवेदन तैयार एवं प्रस्तुत कर नम्र निवेदन है कि मुल्जिम के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में समुचित कार्यवाही कर दण्डित फरमाया जावे ।

16. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी को तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया तथा अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सैनी तथा बाद में श्री दिनेश कुमार बंसल ने अन्डर टेकिंग दी। अप्रार्थी को उपस्थित होने हेतु अनेक अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी की ओर से कोई उपिस्थत नही आया ना ही जबाब पेश किया गया इसलिए अप्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को वहस हेतु नियत किया गया।

17. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड सरसो तेल (श्री) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निधारित है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

18. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त सवस्टेण्डर्ड सरसो तेल (श्री) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निधारित है। अप्रार्थी की ओर से इस संवंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह सावित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो तथा अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री जगदीश चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवचरण गुप्ता (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्स मोहरी लाल वंसतीलाल, पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर (राज०)। निवासी:– मोहल्ला वाछडी, नगरपालिका आफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर पर.....50000/- पचास हजार.....शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.12.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
उपखण्ड/जिला कलक्टर कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली